

## राजस्थान सरकार वन विभाग

प. 3(3)वन/2023

जयपुर, दिनांक-

### अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में स्थित आरक्षित वन खण्ड बीड मुहाना जो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (28)रा. क.-66 दिनांक 11.2.1966, एफ-7 (2) से आरक्षित वन खण्ड घोषित किया गया था, उक्त आरक्षित वन खण्ड की 206.89 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि जिसका विवरण नीचे अनुसूची-1 एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-2 के अनुसार हैं, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय जैवविविधता व वनस्पतीय भू-संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा संरक्षण आरक्षित (Conservation Reserve) घोषित करती है, जिसे भविष्य में बीड मुहाना संरक्षण आरक्षित खण्ड-ए के नाम से जाना जावेगा।

### अनुसूची-1

क्र.सं.	जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	जयपुर ग्रामीण	सागानेर	बीड मुहाना	206.89	आरक्षित वन
योग:-				<b>206.89 है०</b>	

### अनुसूची-2

उत्तरी सीमा	वनखण्ड मुहाना के मीनारा सं. 1 से मीनारा सं. 28 तक मुहाना मण्डी के पीछे तक वन सीमा लाईन।
पूर्वी सीमा	वनखण्ड मुहाना के मीनारा सं. 28 से मीनारा सं. 29 वन सीमा लाईन मुहाना मण्डी से लगते हुए।
दक्षिणी सीमा	वनखण्ड मुहाना के मीनारा सं. 29 से मीनारा सं. 34 तक वन सीमा लाईन तथा मीनारा सं. 17 से सीधा मीनारा सं. 43 को सीधी लाईन से जोड़ते हुए मदाउ रोड़ को बाहर छोड़ कर एवं मीनारा सं. 43 से मुहाना तालाब के पीछे से मीनारा सं. 51 तक वन सीमालाईन एवं



	मीनारा सं. 51 रिंगरोड के पास से मीनारा सं. 68 तक वन सीमा लाईन।
पश्चिमी सीमा	वनखण्ड मुहाना के मीनारा सं. 68 से रिंगरोड के पूर्वी किनारे किनारें मीनारा सं. 78 – 79 के मध्य रिंगरोड की 90 मीटर भूमि को बाहर छोड़ते हुए तथा यहां से मीनारा सं. 1 तक।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मोनाली सेन)  
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
9. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
10. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई-गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, .....
13. जिला कलक्टर, .....
14. उप वन संरक्षक, .....
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-





1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन

